

मै0 मॉ भगवती माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद- बागेश्वर, द्वारा सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 05.10.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 मॉ भगवती माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद- बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (20.277 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एव टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) के दि० 19.09.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दि० 05.10.2023 को परियोजना स्थल, के समीप ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम डॉ० डी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में संक्षेप में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स अर्थ विजन इण्डिया एसोसिएट कन्सलटेंट, 45-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद- बागेश्वर उत्तराखण्ड तथा इसका खनन क्षेत्रफल 20.277 है० है। प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी बी 1 परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खदान क्षेत्र किसी भी निवास स्थान को कवर नहीं करता है। इसलिए खनन गतिविधि में मानव निपटान का कोई विस्थापन शामिल नहीं है। कोई भी सार्वजनिक भवन, स्मारक आदि पट्टे क्षेत्र के आस-पास मौजूद नहीं है। खनन कार्य किसी भी गांव को परेशान नहीं करेगा और न ही पुनर्वास करेगा। इस प्रकार कोई प्रतिकूल प्रभाव अनुमानित नहीं है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खनन परियोजना स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगा और जहा भी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभावों को कम करने के लिए श्रमिकों और आस-पास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने से आस-पास के क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे को बढावा मिलेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत पुनरावर्ती लागत प्रतिवर्ष ढुलाई, सडक की मरमम्त एवं रख-रखाव हेतु रू० 50,000/- धूल नियंत्रण के लिए हॉलेज रोड़ पर पानी छिड़काव हेतु रू० 2,40,000/-, हवा/जल/शोर/मृदा निगरानी हेतु रू० 100000/-, वृक्षारोपण और वृक्षारोपण के बाद देखभाल हेतु रू० 200000/- का आवंटन किया गया है। तदसंबंध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा पृच्छा की गयी कि प्रस्तावित परियोजना के उत्पादन के अनुरूप सी0ई0आर0 एवं सी0एस0आर0 मद में धन का आवंटन कम है, इसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है तथा सुझाव दिया गया कि स्वास्थ्य सुविधा हेतु फ्री मेडिकल कैम्प के स्थान पर गांव में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु धन

आवंटन प्रस्तावित परियोजना में किया जाना चाहिये। तदकम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित परियोजना के आस-पास किया जाना चाहिये तथा बॉयो गैस सयंत्र की उपयोगिता के बारे में पर्यावरण सलाहकार से पूछा गया। तदकम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि दुलाई हेतु उपयोग में लाये जाने वाले खच्चरों के मल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बॉयो गैस सयंत्र की स्थापना का प्राविधान पर्यावरण प्रबंधन योजना में किया गया है। इसी अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि मल अपशिष्ट के एकत्रण हेतु पर्यावरण परियोजना में क्या प्राविधान किया गया है तथा बॉयो गैस सयंत्र की स्थापना का प्राविधान तभी किया जाना चाहिये जब उचित मात्रा में मल एकत्रण हो। उपरोक्त संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना में संशोधन करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री शिव सिंह पिलखवाल ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री पिलखवाल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन योजना में विस्थापन/पुनर्वास का उल्लेख नहीं किया गया है तथा लोकसुनवाई हेतु जिस स्थल का चयन किया गया है, वहा से खनन पट्टा दृष्टिगोचर नहीं होता है। पट्टाधारक द्वारा खनन परियोजना हेतु अनापत्ति धोखे में रखकर प्राप्त की गयी है। खनन परियोजना बस्ती के नीचे की ओर प्रस्तावित है, खडिया खनन से भूस्खलन की संभावना है, जहा पर खडिया खनन कार्य किया जाना उचित नहीं है। हम प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध करते हैं। पूर्व में बाते स्पष्ट नहीं की जाती है, तदपश्चात गांव में फूट डालने का प्रयास किया जाता है। पूर्व में जो खडिया खनन क्षेत्र के आस-पास किया जा रहा है, खडिया क्षेत्र के आस-पास सुरक्षित दिवारों का निर्माण पट्टा धारकों द्वारा नहीं किया गया है।
2. श्री गंगा सिंह पिलखवाल, भूतपूर्व सैनिक ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री गंगा सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना का क्षेत्र 20.277 है0 है। जिसमें समस्त गांव आच्छादित हो जायेगा।
3. श्री नवीन सिंह ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री नवीन सिंह द्वारा कहा गया कि हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु हमारे द्वारा पूर्व में अनापत्ति दी गयी है।
4. श्री मोहन सिंह ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री मोहन सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय गांव वासियों कोक गुमराह करके धोखे में रखा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा हमसे कोई अनापत्ति नहीं ली गयी है। प्रस्तावित खनन परियोजना के आरम्भ होने से गांव के आस-पास के पानी के स्रोतों के सूख जाने की संभावना है।
5. श्री भुवन चन्द्र तिवारी ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री तिवारी द्वारा कहा गया कि हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना हेतु अनापत्ति प्राप्त की गयी है।
6. श्री भुपेन्द्र तिवारी (पट्टाधारक) ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री भुपेन्द्र तिवारी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु गांव वालों से अनापत्ति बिना गुमराह किये व किसी दवाब के बिना प्राप्त की गयी है।

7. श्री ललित तिवारी ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री ललित तिवारी द्वारा कहा गया कि हमें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व में भी हमारे द्वारा अनापत्ति दी गयी है।
8. श्री धर्मानन्द ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री धर्मानन्द द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु जो अनापत्ति दी गयी है, उसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं है तथा जो लोग खनन परियोजना हेतु अनापत्ति दे रहे हैं उनके नाम की जमीन है, तो अवगत करायें ? तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा बताया गया कि अनापत्ति प्राप्त किये बिना खनन कार्य नहीं किया जा सकता है।
9. श्री गिरीश चन्द्र तिवारी ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री गिरीश चन्द्र द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु अनापत्ति अपनी स्वेच्छा से दी गयी है।
10. श्री शेखर चन्द्र तिवारी ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री श्री शेखर चन्द्र तिवारी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
11. श्री उमेश चन्द्र तिवारी ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री उमेश चन्द्र तिवारी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
12. श्री किशन सिंह पिलखवाल ग्राम-भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील व जनपद-बागेश्वर- श्री किशन सिंह पिलखवाल द्वारा कहा गया कि जमखाई वाले तोक में खनन कार्य से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री किशन सिंह दानू (परियोजना प्रस्तावक)- श्री दानू द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि जहां तक प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु अनापत्ति लिये जाने की बात है, इस संबंध में बताना चाहूंगा कि अनापत्ति किसी भी ग्राम पंचायत से 100 प्रतिशत नहीं ली जाती है। प्रस्तावित परियोजना के स्वीकृत होने के पश्चात् अगर खनन कार्य आरम्भ हुआ तो काश्तकारों की आपत्तियों को निश्चित ही दूर किया जायेगा तथा खनन कार्य गांव के सुरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के परामर्श के बाद ही किया जायेगा। गांव के आस-पास प्राकृतिक जल स्रोतों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। खनन कार्य दोनों पक्षों के सहमति के बाद ही किया जायेगा। खनन कार्य से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम आश्वस्त करते हैं कि गांव के चारागाहों जल स्रोतों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

अंत में जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों से अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से मागी गयी। सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी प्राप्त होने तथा शोरगुल व व्यवधान होने के कारण लोक सुनवाई का समापन किया गया। उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ० डी०के० जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।

(अनुराधा पार्ल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

में मां भगवती माइंस एण्ड मिनरल्स, ग्राम-भीड़ी एवं
 वामन भीड़ी, तहसील एवं जिला-वागेश्वर में प्रस्तावित सोप-
 -स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल- 20.277 हे० हे०) पर्यावरणीय स्थिति
 के लिये लोक सुनवाई में उपाधिति का विवरण-

सुनवाई स्थल- भीड़ी एवं वामन भीड़ी
 समय एवं तिथि- 5 04-2023 प्रातः 11:00 बने,

क्र/सं	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अनुराधा पाल	जिलाधिकारी, वागेश्वर	
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी	
3.	भरत रावत	पर्यावरण सलाहकार (उ० प० भीड़ोडी)	
4.	मुषनचन्द	कुर्कक - भीड़ी	मुषनचन्द पाल
5.	श्रीवाचस्पतिराव	कुर्कक वामनभीड़ी	श्रीवाचस्पतिराव
6.	किशोर चन्द ते वड़ी	कुर्कक भीड़ी	Kishor
7.	संजय सिंह	वामन भीड़ी	
8.	शंकर सिंह	शेर सिंह	
9.	मनोज सिंह	वामन भीड़ी	
10.	आनन्द सिंह	१)	मानन्द सिंह
11.	बचन सिंह	१)	
12.	मोहन सिंह	१)	मोहन सिंह
13.	दिसांशु पाण्डे	१)	
14.	दुपल सिंह	१)	दुपल सिंह
15.	उमेश चन्द	१)	
16.	किशन सिंह		किशन सिंह
17.	लालत जेठवाडी		
18.	रवीन्द्र सिंह		
19.	शंकर चंड	१)	
20.	विश्वनाथ		

